राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु आर0एफ0पी0 संख्या–4692/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2014 (ई0एस0टी0एण्ड पी0), दिनांक 19.02.2015 को जारी निविदा में निर्धारित तिथि 3 मार्च 2015 को सूडा, उ0प्र0 के सभागार में आयोजित प्री–बिड बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरो (नगर निकायों) में शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु आर0एफ0पी0 सं0–4692/241/NULM/तीन/2014(ई0एस0टी0एण्ड पी0) दिनांक 19.02.2015 द्वारा संस्थाओं से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु निविदा जारी की गई है। निविदा में निर्धारित तिथि 03.03.2015 को प्री–बिड बैठक हेतु सूडा, उ0प्र0 के सभागार में आयोजित की गई। इस प्री–बिड बैठक में 79 संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा निविदा पर काफी प्रश्न किये गये और कई बिन्दुओं पर स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। जिनमें से मुख्य प्रश्न/स्पष्टीकरण निम्नवत है।

1. निविदा के अनुसार बिडर सिर्फ एक शहर हेतु ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उपस्थित अधिकांश संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा यह आग्रह किया गया कि एक शहर आवेदन किये जाने की बाध्यता को हटाया जाये।

   उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को अवगत कराया गया कि शासन से अनुमोदित नीति के अनुसार एक संस्था/एजेन्सी एक ही शहर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

2. प्री–बिड में उपस्थित अधिकांश संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों को उ0प्र0 के अन्दर ही सेवानियोजन कराये जाने और निविदा में कम्पनियों के साथ उ0प्र0 के अन्दर ही सेवानियोजन हेतु टाई–अप का विवरण उपलब्ध कराये जाने की बाध्यता को शिथिल किये जाने का आग्रह किया गया।

   उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को स्पष्टीकरण स्वरूप अवगत कराया कि निविदा में सेवायोजन हेतु कम्पनियों के साथ टाई–अप देश के किसी भी राज्य का प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थी के सेवायोजन हेतु प्रशिक्षार्थी की सहमति से देश के किसी भी राज्य में उसका सेवायोजन कराया जा सकता है और दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थी का 6 माह तक ट्रेकिंग का विवरण उपलब्ध कराना है।

3. प्री–बिड में उपस्थित कुछ संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा सर्विस टैक्स के भुगतान पर प्रश्न करते हुए स्पष्ट करने का आग्रह किया गया।

   उक्त आग्रह पर उपस्थित सभी संस्थाओं/एजेन्सियों को स्पष्टीकरण स्वरूप अवगत कराया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (संस्था/एजेन्सी) को प्रशिक्षण लागत स्वरूप भुगतान की जाने वाली धनराशि में सभी करों सहित सर्विस टैक्स

समाहित है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का टैक्स सूडा/डूडा/सी0एम0एम0यू0 द्वारा देय नहीं होगा।

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

कार्यालय–राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक– 5130 /241/NULM/तीन/2014(ESTBP) दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
6. अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत।
7. समस्त पी0ओ0/ए0पी0ओ0, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
8. वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

19/3/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक